(15)

(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर0के0 मिश्रा**

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3226–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 793/अपील/12–13

.....

1. शकुन्तला दीक्षित पत्नी स्व0 रामावतार दीक्षित
निवासी बोदाबाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. गायत्री दीक्षित पत्नी स्व0 सुशील कुमार दीक्षित
निवासी बड़रा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
3. संजीव कुमार दीक्षित तनय स्व0 रामावतार दीक्षित
निवासी बोदाबाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

------आवेदकगण

विरूद्ध

1. निर्जला दीक्षित पत्नी स्व0 सुनील कुमार दीक्षित
निवासी पड़रा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा
2. संतोष कुमार दीक्षित तनय स्व0 रामावतार दीक्षित
निवासी बोदाबाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
3. सुनीला द्विवेदी पुत्री स्व0 रामावतार दीक्षित
पत्नी श्री संजय द्विवेदी निवासी स्नेह नगर जबलपुर
जिला जबलपुर म0प्र0
4. सरिता द्विवेदी पुत्री रामावतार दीक्षित पत्नी यादवेन्द्र द्विवेदी
निवासी मढ़ा बाजार जबलपुर जिला जबलपुर म0प्र0

------अनावेदकगण

.....

श्री अरूणेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री श्री जय शंकर मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 24–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण ने तहसीलदार हुजूर के राजस्व प्रकरण कमांक 184/अ–37/01–02 में पारित आदेश दिनांक 11–9–02 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 14–11–2012 से आवेदकगण द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन अस्वीकार किया। जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 24–4–13 के द्वारा अपील खारिज की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदिका शकुन्तला ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया था जिसमें आपसी विभाजन पर सहमति दी थी। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदिका को विचारण न्यायालय में बटवारा आदेश की जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा 7 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी दिनांक से अपील को बेरूम्याद मानकर निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी स्थिर रखा है। विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही अपील को समय–सीमा में माना जा सकता है। जब इस प्रकरण में आवेदिका को बटवारे की जानकारी थी तथा उसके द्वारा जानकारी के बाद भी अवधि बाह्य अपील पेश की थी जिसे दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा विलम्ब से मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 24–6–2013 स्थिर रखा जाता है।

29/8/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर